

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D-1176,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 122 एवं मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 23, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, सिविल अपील क्रं० 2021 का 1659 - 1660 / विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 7965 - 7966/2020 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देश दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में मध्य प्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 138 के उप-नियम (1) में, प्रारंभ में शब्द, क्रमांक तथा अक्षरों "आदेश 10 नियम 1 प्रावधानों की ओर जो कदाचित ही पालन किए जाते हैं की ओर पीठासीन न्यायाधीशों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, क्रमांक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

"कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को तीसरे पक्ष के हित के संबंध में आदेश 10 के अंतर्गत वाद के पक्षकारों की परीक्षा करना चाहिए। पीठासीन अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 नियम 1 के उपबंधों का पालन करेंगे।"

2. नियम 143 में,-

(1) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(1-क) कब्जा देने से संबंधित वादों में, न्यायालय को आदेश 11 नियम 14 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पक्षकारों को शपथ पर, ऐसे दस्तावेज प्रकट एवं पेश करने के लिए कहा

जाए, जो पक्षकारों के कब्जे में हों, जिसमें ऐसी संपत्तियों में तीसरे पक्ष के हित से संबंधित घोषणा शामिल है।”।

(2) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(2-क) आदेश 10 के अंतर्गत पक्षकारों की परीक्षा या आदेश 11 के अंतर्गत दस्तावेज की प्रस्तुति या कमीशन की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, न्यायालय को वाद के सभी आवश्यक या उचित पक्षकारों को जोड़ना चाहिए जिससे कार्यवाहियों की बहुलता से बचा जा सके एवं ऐसे वाद हेतुकों का संयोजन भी उसी वाद में करना चाहिए।”।

(3) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(5) धन के संदाय के लिए वाद में, विवादकों के स्थिरीकरण के पूर्व, प्रतिवादी जहाँ तक उसे वाद में उत्तरदायी बनाया जा रहा है, उस सीमा तक अपनी संपत्ति को शपथ पर प्रकट करने हेतु अपेक्षित किया जा सकेगा। न्यायालय इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रक्रम पर, समुचित मामलों में, वाद लंबित रहने के दौरान, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत शक्तियों को उपयोग करते हुए, किसी आज्ञाप्ति की संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति अपेक्षित कर सकती है।”।

3. नियम 168 में, विद्यमान पैराग्राफ उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

- “(2) न्यायालय को, किसी संपत्ति के कब्जे के परिदान के संबंध में आज्ञाप्ति पारित करने के पूर्व आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज्ञाप्ति न केवल उस संपत्ति का स्पष्ट विवरण समाहित करे, बल्कि संपत्ति की स्थिति के संबंध में भी असंदिग्ध हो।”।
4. नियम 184 में, उप-नियम (1) के अंत में, शब्दों “वाद का निराकरण यथासम्भव शीघ्र हो जाए।” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
“वे प्रवर्तन प्रकरण प्रस्तुत करने की दिनांक से छः माह के भीतर निराकृत हो जाएं, जिसे केवल लिखित में, ऐसे विलंब के कारणों को अभिलिखित करने पर ही बढ़ाया जा सकेगा।”।
5. नियम 187 में, विद्यमान पैराग्राफ, उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए व इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—
“(2) धन संबंधी वाद में, न्यायालय अनिवार्यतः निरपवाद रूप से आदेश 21 नियम 11 का प्रयोग कर, मौखिक आवेदन पर धन के भुगतान हेतु आज्ञाप्ति के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा।”।
6. नियम 197 में, विद्यमान पैराग्राफ को उप-नियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार क्रमांकित उप-नियम (1) के बाद निम्न उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—
“(2) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत पद “ निर्णीत-ऋणी के नाम में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से” को किसी अन्य व्यक्ति, जिससे वह हिस्सा, लाभ या संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता रखता हो, को सम्मिलित करने हेतु उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।”।

7. नियम 204 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

- "204-क (1) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 47 या आदेश 21 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय को अधिकारों का दावा करने वाले तीसरे पक्ष के आवेदन पर यंत्रवत सूचना जारी नहीं करना चाहिए। अग्रेतर, न्यायालय को ऐसे किसी भी आवेदन (आवेदनों) पर विचार करने से बचना चाहिए जिस पर पहले ही न्यायालय द्वारा वाद के न्यायनिर्णयन के समय विचार किया जा चुका हो या जो ऐसा विवाद्यक उठाता हो जो अन्यथा वाद के न्यायनिर्णयन के दौरान उठाया और न्यायनिर्णीत किया जा सकता था यदि आवेदक द्वारा सम्यक सावधानी बरती गई होती।
- (2) न्यायालय का निष्पादन की कार्यवाही के दौरान केवल आपवादिक व दुर्लभ मामलों में ही साक्ष्य लेने की अनुमति देनी चाहिए, जहां तथ्य का प्रश्न किसी अन्य त्वरित तरीके, जैसे कमिश्नर की नियुक्ति या शपथपत्र के साथ फोटो या वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगाने, का सहारा लेकर विनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- (3) न्यायालय को उपयुक्त मामलों में, जहां वह आपत्ति या प्रतिरोध या दावा तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण लगता है, आदेश 21 के नियम 98 के उप-नियम (2) का सहारा लेना चाहिए और साथ ही साथ धारा 35-क के अनुसार प्रतिकारात्मक खर्चे अनुदत्त करने चाहिए।"

8. नियम 232 में,-

- (1) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(1) निष्पादन न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि पुलिस की सहायता के बिना डिक्री का निष्पादन संभव नहीं है, जिला

पुलिस अधीक्षक/ संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे कर्मचारियों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे सकता है जो डिक्री के निष्पादन की दिशा में कार्य कर रहे हैं।”।

(2) उप-नियम (2) में, “जिला पुलिस अधीक्षक” शब्दों के बाद चिन्ह व शब्द “/ संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी” अंतर्विष्ट किए जाएं, जहाँ कहीं भी वे आते हैं।

(3) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“(3) यदि लोक सेवक के विरुद्ध उसके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी अपराध को न्यायालय के ज्ञान में लाया जाता है, तो उससे विधि के अनुसार कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।”।

9. नियम 243 के उप-नियम (1) में, अंत में, “सिविल प्रक्रिया संहिता” शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“तथा उपयुक्त मामले, जहाँ कब्ज़ा विवादित नहीं है और न ही न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु वह तथ्य का प्रश्न है, तब संपत्ति के सटीक विवरण तथा स्थिति का आकलन करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है।”

10. नियम 276 में, अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“मामले के यथोचित न्यायनिर्णयन हेतु एक न्यायालय प्रापक को प्रश्नगत संपत्ति की स्थिति की निगरानी करने के लिए विधिक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।”

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.

abalpur. the 19th May 2022

In exercise of powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No.5 of 1908) and Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No.19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 in pursuance to direction dated 22.04.2021 of the Hon'ble Supreme Court passed in Civil Appeal Nos.1659-1660 of 2021(@ Special Leave to Appeal Nos.7965-7966/2020), namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In Rule 138, in sub-rule (1), in the beginning, for the words, number and letters "The attention of presiding Judges is directed to the provisions of rule 1, Order X which are rarely observed", the following words, number and letters shall be substituted, namely:-

"In suits relating to delivery of possession, the court must examine the parties to the suit under Order X in relation to third party interest. The Presiding Officer shall comply with the provisions of Order X Rule 1 of the CPC."

2. In Rule 143,-

- (1) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be added, namely:-

"(1-A) In suits relating to delivery of possession, the court must exercise the power under Order XI Rule 14 asking parties to disclose and produce documents, upon oath, which are in possession of the parties including

declaration pertaining to third party interest in such properties.”.

- (2) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2-A) After examination of parties under Order X or production of documents under Order XI or receipt of commission report, the Court must add all necessary or proper parties to the suit, so as to avoid multiplicity of proceedings and also make such joinder of cause of action in the same suit.”.

- (3) After sub-rule (4), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(5) In a suit for payment of money, before settlement of issues, the defendant may be required to disclose his assets on oath, to the extent that he is being made liable in a suit. The Court may further, at any stage, in appropriate cases during the pendency of suit, using powers under Section 151 CPC, demand security to ensure satisfaction of any decree.”.

3. In Rule 168, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) The Court must, before passing the decree, pertaining to delivery of possession of a property ensure that the decree is unambiguous so as to not only contain clear description of the property but also having regard to the status of the property.”.

4. In Rule 184, in sub-rule (1) at the end, for the words “that cases are disposed of as speedily as possible.”, the following words shall be substituted, namely:-

“that execution cases are disposed of within six months from the date of filing, which may be extended only by recording reasons in writing for such delay.”.

5. In Rule 187, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1), as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) In a money suit, the Court must invariably resort to Order XXI Rule 11, ensuring immediate execution of decree for payment of money on oral application.”.

6. In Rule 197, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be added, namely:-

“(2) Under section 60 of CPC the term “...in name of the judgment-debtor or by another person in trust for him or on his behalf” should be read liberally to incorporate any other person from whom he may have the ability to derive share, profit or property.”.

7. After Rule 204, the following rule shall be added, namely:-

“204-A. (1) The Court exercising jurisdiction under Section 47 or under Order XXI of CPC, must not issue notice on an application of third-party claiming rights in a mechanical manner. Further, the Court should refrain from entertaining any such application(s) that has already been considered by the Court while adjudicating the suit or

which raises any such issue which otherwise could have been raised and determined during adjudication of suit if due diligence was exercised by the applicant.

- (2) The Court should allow taking of evidence during the execution proceedings only in exceptional and rare cases where the question of fact could not be decided by resorting to any other expeditious method like appointment of Commissioner or calling for electronic materials including photographs or video with affidavits.
- (3) The Court must in appropriate cases where it finds the objection or resistance or claim to be frivolous or mala fide, resort to Sub-rule (2) of Rule 98 of Order XXI as well as grant compensatory costs in accordance with Section 35A.”.

8. In Rule 232,-

- (1) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The Executing Court may on satisfaction of the fact that it is not possible to execute the decree without police assistance, direct the District Superintendent of Police/ S.H.O. of concerned Police Station to provide police assistance to such officials who are working towards execution of the decree.”.
- (2) In sub-rule (2), after the words “the District Superintendent of Police”, the symbol and words “/S.H.O. of concerned Police Station” shall be inserted, wherever they occur.

(3) After sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:-

“(3) In case an offence against the public servant while discharging his duties is brought to the knowledge of the Court, the same must be dealt with stringently in accordance with law.”.

9. In Rule 243, in sub-rule (1), at the end, after the words “Civil Procedure Code”, the following sentence shall be added, namely:-

“and in appropriate cases, where the possession is not in dispute and not a question of fact for adjudication before the Court, Commission may be issued to assess the accurate description and status of the property.”.

10. In Rule 276, at the end, the following sentence shall be added, namely:-

“A Court Receiver can be appointed to monitor the status of the property in question as *custodia legis* for proper adjudication of the matter.”.

By order of the Hon'ble Chief Justice,
KRISHNAMURTY MISHRA. Registrar General.